भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 953

जिसका उत्तर शुक्रवार, 22 जुलाई, 2022 को दिया जाना है

न्यायालयों में लंबित मामलों का विश्लेषण

953. सुश्री दिया कुमारी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत के न्यायालयों में लम्बित मामलों की अधिकता के कारणों का जिला-वार या राज्य-वार विश्लेषण किया है या करने का प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने भारत के विभिन्न न्यायालयों की ढांचागत चुनौतियों का संज्ञान लिया जिसके कारण लंबित मामलों की संख्या बढ़ी हैं, यदि हां, तो न्यायालयों के अवसंरचनात्मक ढांचे में सुधार के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने लंबित मामलों को दूर करने के लिए न्यायिक अधिकारियों की संख्या बढ़ाने के लिए कदम उठाया है विचार किया है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : न्यायालयों में मामलों का समय पर निपटान कई कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, पर्याप्त संख्या में न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों की उपलब्धता, सहायक न्यायालय कर्मचारिवृंद और भौतिक अवसंरचना, अंतर्वलित तथ्यों की जटिलता,साक्ष्य की प्रकृति, पणधारियों का सहयोग अर्थात बार, अन्वेषण अभिकरण,साक्षियों और वादियों और नियमों और प्रक्रियाओं का उचित अनुप्रयोग सम्मिलित हैं।

इम्तियाज अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने भारत के विधि आयोग को मामलों के बैकलॉग को दूर करने के लिए

अपेक्षित अतिरिक्त न्यायालयों की संख्या के वैज्ञानिक मूल्यांकन के लिए एक पद्धति विकसित करने के लिए कहा था। 245वीं रिपोर्ट (2014) में, विधि आयोग ने संप्रेक्षण किया कि प्रति व्यक्ति मामले फाइल करना भौगोलिक इकाइयों में काफी भिन्न होता है क्योंकि फाइल करना आबादी की आर्थिक और सामाजिक स्थितियों से सहयोजित होती है। इस प्रकार विधि आयोग ने देश में न्यायाधीशों की संख्या की पर्याप्तता का अवधारण करने के लिए न्यायाधीश जनसंख्या अनुपात को वैज्ञानिक मानदंड नहीं माना। विधि आयोग ने "निपटान की दर" पद्धति अर्थात् मामलों के बैकलॉग को दूर करने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या की गणना करने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करने के लिए कि नए बैकलॉग को अधिक व्यावहारिक और उपयोगी बनाने के लिए नहीं बनाया गया है।

अगस्त 2014 में, उच्च्तम न्यायालय ने राष्ट्रीय न्यायालय प्रबंधन प्रणाली समिति (एनसीएमएस समिति) को विधि आयोग द्वारा की गई सिफारिशों की जांच करने और इस संबंध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए कहा। एनसीएमएस समिति ने मार्च, 2016 में उच्च्तम न्यायालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट, अन्य बातों के साथ, यह संप्रेक्षण करती है कि दीर्घावधि में, अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की पद संख्या प्रत्येक न्यायालय के मामले में भार के निपटान के लिए अपेक्षित "न्यायिक घंटे" की कुल संख्या के अवधारण की वैज्ञानिक पद्धति द्वारा मूल्यांकन करना होगा । अंतरिम में, समिति ने स्थानीय परिस्थितियों में मामलों की प्रकृति और जटिलता के आधार पर "भारित" निपटान दृष्टिकोण अर्थात् निपटान भारित करने का प्रस्ताव दिया है।

माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश तारीख 02.01.2017 के निर्देश के अनुसार, न्याय विभाग ने एनसीएमएस समिति की अंतरिम रिपोर्ट की एक प्रति जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका की अपेक्षित पद संख्या का अवधारण की अनुवर्ती काईवाई करने के लिए सभी राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों को भेज दी है ।

उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संवर्ग संख्या वर्ष 2019 में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को छोड़कर 30 से बढ़ाकर 33 कर दी गई और उच्च न्यायालयों में 906 से बढ़ाकर 2022 में 1108 कर दी गई। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की संवर्ग संख्या 2014 में 19,518 से बढ़कर जुलाई, 2022 में 24,631 हो गई है । जिला और जिला से नीचे अधीनस्थ (तहसील/तालुका) स्तर पर नए न्यायालयों को संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनकी आवश्यकता और संसाधनों के अनुसार स्थापित की जाती हैं। इस मामले में

केंद्रीय सरकार की कोई भूमिका नहीं है। मलिक मजहर मामले में, उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक आदेश के माध्यम से अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों को समयबद्ध तरीके से भरने के लिए एक प्रक्रिया और समय-सीमा तैयार की है।

केंद्रीय सरकार संविधान के अनुच्छेद 39 क के अधीन जनादेश के अनुरूप न्याय तक पहुंच में सुधार के लिए मामलों के त्वरित निपटान और लंबित मामलों में कमी लाने के लिए प्रतिबद्ध है। संघ सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय न्याय प्रणाली और विधिक सुधार मिशन ने जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिए अवसंरचना में सुधार, बेहतर न्याय परिदान के लिए सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाने, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पद, जिला, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, स्तर पर बकाया समितियों द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई के माध्यम से लंबित मामलों में कमी, वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) पर जोर और विशेष प्रकार के मामलों को फास्ट ट्रैक करने की पहल आदि सहित, कई रणनीतिक पहलों को अंगीकृत किया है ।

(ख) : न्यायपालिका के लिए अवसंरचना प्रसुविधाओं के विकास की प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। राज्यों सरकारों के स्रोंतो को बढाने के अनुक्रम में, संघ सरकार राज्य सरकारों/ संघ राज्यक्षेत्रों को विहित निधि साझा पैटर्न में वित्तीय सहायता प्रदान करके जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में अवसंरचना प्रसुविधाओं के विकास के लिए एक केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम लागू कर रही है। स्कीम वर्ष 1993-1994 से क्रियान्वित है । इसमें जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका अधिकारियों के लिए न्यायालय भवन और आवासीय प्रसुविधाओं को कवर करना होता है।

उच्च न्यायालयों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, 30.06.2022 तक,जिले और अधीनस्थ न्यायालय के 24623 न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत संख्या के लिए जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को कवर करने वाले न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों के लिए 20993 न्यायालय हॉल और 18502 आवासीय इकाइयाँ उपलब्ध हैं। स्कीम को 9,000 करोड़ रु.की कुल लागत पर 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है, जिसमें से केंद्रीय हिस्सा 5,307 करोड़ रु. होगा । न्यायालय हॉल और आवासीय इकाइयों के निर्माण के अतिरिक्त, इसमें वकील हॉल, शौचालय परिसर और डिजिटल कंप्यूटर रूम का निर्माण भी सम्मिलित होगा। राज्य सरकार द्वारा स्कीम के विद्यमान मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार शर्तों को पूरा करने

के पश्चात स्कीम के अधीन धनराशि जारी की जाती है। राज्य के संबंध में जारी स्कीम के अधीन किए गए बजटीय आवंटन के अधीन है। न्यायपालिका के लिए अवसंरचना प्रसुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम के अधीन क्रमशः वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान आरई चरण में 982.00 करोड़ रु., 593.00 रुपए और 770.44 करोड़ रु.की राशि की धनराशि आवंटित की गई थी।

(ग) : उच्च न्यायालयों में रिक्तियों को भरना कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक सतत, एकीकृत और सहयोगी प्रक्रिया है। इसमें राज्य और केंद्रीय स्तर पर विभिन्न संवैधानिक प्राधिकरणों से परामर्श और अनुमोदन की अपेक्षा होती है। विद्यमान रिक्तियों को तेजी से भरने के लिए हर संभव प्रयास करते समय, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की रिक्तियां सेवानिवृत्ति, पदत्याग या न्यायाधीशों की प्रोन्नति और न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि के कारण भी कारण उत्पन्न होती रहती हैं।

जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के संबंध में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन, राज्यों में जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका के सदस्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण संबंधित उच्च न्यायालय के पास निहित होता है। इसके अतिरिक्त, संविधान के अनुच्छेद 233 और 234 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, संबंधित राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य न्यायिक सेवा में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति, प्रोन्नति, आरक्षण सेवानिवृत्ति के मुद्दों से संबंधी नियमों और विनियमों को विरचित करती है। अत: जहां तक राज्यों में न्यायिक अधिकारियों की भर्ती का संबंध है, संबंधित उच्च न्यायालय इसे कतिपय राज्यों में करते हैं, जबकि उच्च न्यायालय इसे अन्य राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोगों के परामर्श से करते हैं।

संघ सरकार की जिला/अधीनस्थ न्यायपालिका में न्यायिक अधिकारियों के चयन और नियुक्ति में संविधान के अधीन कोई भूमिका नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने मलिक मजहर मामले में 04 जनवरी, 2007 के अपने आदेश में अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों को भरने के लिए एक प्रक्रिया और समय सीमा विरचित की है जो यह निर्धारित करती है कि अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की भर्ती की प्रक्रिया एक कैलेंडर वर्ष के 31 मार्च को शुरू होता है और उसी वर्ष के 31 अक्टूबर तक समाप्त होता है। उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकारों/उच्च न्यायालयों को राज्य में विशिष्ट भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों या अन्य सुसंगत

परिस्थितियों के आधार पर किसी भी कठिनाई के मामले में समय सारणी में बदलाव के लिए अनुमति दी है।

इसके अतिरिक्त, उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में, न्याय विभाग ने मलिक मजहर निर्णय की एक प्रति सभी उच्च न्यायालयों के महा रजिस्ट्रार को आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेषित की। न्याय विभाग समय-समय पर सभी उच्च न्यायालयों के महारजिस्ट्रार को मलिक मजहर मामले द्वारा अधिदेशित अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्त पदों को भरने में तेजी लाने के लिए लिख रहा है।

****